

प्रेस नोट-

जनपद मीरजापुर

दिनांक 20.09.2020

पेशेवर गो-तस्कर गिरोह के सदस्य की गिरोहबन्द अधिनियम के अंतर्गत अपराध से अर्जित 30 लाख की सम्पत्ति की गयी जब्त

अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान व शातिर अपराधियों पर कार्यवाही के क्रम आज दिनांक 20.09.2020 को पेशेवर गोवंश तस्कर गिरोह के सदस्य सिराज खां पुत्र रियाज खां निवासी बखरिया थाना औरैया जनपद औरैया मीरजापुर की 30 लाख की सम्पत्ति थाना जमालपुर पुलिस द्वारा जब्त की गयी, सिराज खां एक शातिर अभ्यस्त गोवंश तस्कर गिरोह का सदस्य है, उक्त गिरोह के विरुद्ध थाना जमालपुर पर मु0अ0स0-72/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गैग्रेस्टर एक्ट पंजीकृत है। सिराज अपने व गैंग के सदस्यों के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराधिक व समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त है। इस प्रकार विधिसम्मत प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया अपनाकर उसके परिणाम स्वरूप अवैध सम्पत्ति अर्जित की गयी है, उसके पास अन्य कोई ज्ञात व वैध आय के श्रोत नहीं है, थानाध्यक्ष जमालपुर के रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के अनुमोदन के उपरान्त जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोवंश तस्कर गिरोह के सदस्य गैग्रेस्टर सिराज खा पुत्र रियाज खा निवासी बखरिया थाना औरैया जनपद औरैया के चल सम्पत्ति ट्रक वाहन संख्या यूपी 77 एएन 0207 जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपये है, को जब्त करने का आदेश दिया गया। जिसके अनुपालन में थाना जमालपुर पुलिस द्वारा उक्त चल सम्पत्ति जब्त किया गया।

विवरण सम्पत्ति-

1- ट्रक वाहन संख्या- यूपी 77 एएन 0207

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0-72/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधि0 गैग्रेस्टर थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर।

2-मु0अ0सं0-69/2019 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना जमालपुर मीरजापुर।

